

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुडा भवन, भोपाल-246004

दूरभाष क्रमांक 0755-2551698, 2554763 ई-मेल: compcellhedu@mp.gov.in

क्रमांक: 309/130/आउशि/शा-5अ/2014

भोपाल, दिनांक: 31./05/2014

प्रति,

प्राचार्य,

- (i) एम.बी. खालसा महाविद्यालय, इंदौर (ii) एम.बी. खालसा विधि महाविद्यालय, इंदौर
(iii) पायोनियर इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, इंदौर (iv) श्री गुरु गोविन्द सिंह कॉलेज, इंदौर

विषय: ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2014-2015 से अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को मुक्त रखने बाबत |

सन्दर्भ: (i) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 220/83/शाखा-5अ/2014 भोपाल दिनांक 25.04.2014

(ii) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 222/130/शाखा-5अ/2014 भोपाल दिनांक 25.04.2014

(iii) म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक 918/सी.सी./38/14 दिनांक 16.05.2014


(iv) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 287/130/शाखा-5अ/2014 भोपाल दिनांक 21.05.2014

निम्न महाविद्यालयों को उनके अल्पसंख्यक महाविद्यालय का दर्जा होने के कारण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से छूट दी जाती हैं:

क्र.	कॉलेज कोड	अल्पसंख्यक समुदाय	महाविद्यालय का नाम	समिति का नाम
01	ins1220	सिख	एम.बी. खालसा महाविद्यालय, इंदौर	एम.बी. खालसा एजुकेशन सोसाइटी, इंदौर
02	P276	सिख	एम.बी. खालसा विधि महाविद्यालय, इंदौर	एम.बी. खालसा एजुकेशन सोसाइटी, इंदौर
03	P286	जैन	पायोनियर इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, इंदौर	पायोनियर सोसाइटी फॉर प्रोफेशनल स्टडीज़, इंदौर
04	ins1222	सिख	श्री गुरु गोविन्द सिंह कॉलेज, इंदौर	श्री गुरु गोविन्द सिंह शिक्षा एवं समाजसेवी संस्था, इंदौर

उपर्युक्त संस्थाओं/महाविद्यालयों को यह अंतरिम छूट संदर्भित न्यायालयीन निर्णय के अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगी, और यह भी कि उपर्युक्त संदर्भित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अल्पसंख्यक मान्यता संबंधित प्रमाणपत्र किसी भी समय गलत पाये जाने पर यह छूट स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।

इन अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए विभागीय पोर्टल पर मॉड्यूल उपलब्ध रहेगा | संस्थाएं ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों को ही नियमानुसार प्रवेश देते हुए उनकी जानकारी अनिवार्यतः निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर दर्ज करेंगी। अंतिम तिथि के पश्चात् यह मॉड्यूल स्वतः लॉक हो जावेगा |


(श्री. व्ही.एस. निरंजन)
31/5/14
वि.क.अ. सह आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश


पृष्ठ - 2 पर जारी

पृ. क्रमांक: 310/130/आउशि/शा-5अ/2014

भोपाल, दिनांक: 31./05/2014

प्रतिलिपि:

1. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आई.टी. सेल, उच्च शिक्षा की ओर वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।


(डॉ. के.एम. जैन)

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश